<u>अविलंब निर्गत</u>

सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार ,पटना का प्रतिवेदन

(स्थानीय निकायों पर 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन)

बिहार सरकार

विस्तृत हिन्दी प्रतिवेदन के लिए क्यू. आर. कोड स्कैन करें।

प्रेस विज्ञप्ति

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार से संबंधित वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन 2017–19 अवधि हेतु 16 दिसंबर 2022 को बिहार विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के इस प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के कार्यप्रणाली, उत्तरदायित्व तंत्र, एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामलों से संबंधित उपलब्धियाँ शामिल है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित उपलब्धियाँ भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश निम्नवत है:–

1. पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, उत्तरदायित्व तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामलों की एक सामान्य रूपरेखा

❖ *लेखापरीक्षा व्यवस्था*

तेरहवीं वित्त आयोग (13वीं वि. आ.) और चौदहवीं वित्त आयोग (14वीं वि. आ.) ने अनुशंसा की थी कि सी.ए.जी. को स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर/श्रेणी के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग (टी.जी.एस.) का कार्य सौंपा जाए तथा वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (ए.टी.आई.आर.) के साथ–साथ स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (डी.एल.एफ.ए.) के निदेशक की वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाए। इस राज्य में सी.ए.जी. के द्वारा टी.जी.एस. के तहत स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रारंभ राज्य सरकार द्वारा मानक नियमों और शर्तों की स्वीकृति के पश्चात जनवरी 2017 से हुआ और तब से स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय ने प्राथमिक बाह्य लेखापरीक्षक की भूमिका का निर्वहन प्रारंभ किया ।

डी.एल.एफ.ए. ने वर्ष 2014–19 के दौरान 1,255 पं.रा.सं. के लेखाओं की लेखापरीक्षा की थी जो राज्य में कुल पं.रा.सं. का केवल 14.04 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त 1,255 लेखापरीक्षित पं.रा.सं. में से केवल 289 इकाईयों (23 प्रतिशत) के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए थे। डी.एल.एफ.ए. द्वारा बताया गया कि आधारभूत संरचना की कमी के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों को निर्गत होने में विलंब हुआ ।

(कंडिका 1.5)

❖ *कार्यो, निधियों एवं कर्मियों का प्रतिनिधायन*

बिहार सरकार के 20 विभागों ने सितम्बर 2001 में अपने संबंधित कार्यो को पं.रा.सं को हस्तांतरित कर दिया था और कार्यों का स्तर–वार गतिविधि मानचित्रण तैयार किया था लेकिन पंचायत के तीनो स्तरों द्वारा किए जाने वाले कार्यो और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका था।

राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं तथा बी.पी.आर.ए., 2006 के प्रासंगिक प्रावधानों के बावजूद बिहार (ग्राम पंचायत, लेखापरीक्षा, बजट एवं कराधान) नियमावली नहीं बनाए जाने के कारण पंचायती राज संस्थाएँ करारोपण एवं संग्रहण में असमर्थ थीं।

राज्य में पं.रा.सं. के पास सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव के 4,751 पद (स्वीकृत पद का 56 प्रतिशत) रिक्त थे जबकि प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बी.पी.आर.ओ.) (कुल स्वीकृत पद का 64 प्रतिशत) के 455 पद रिक्त थे।

(कंडिका 1.3.3)

❖ *निधियों की उपयोगिता*

नवंबर 2019 तक, 2017–18 तक की अवधि के लिए कुल अनुदान ₹ 29,319.83 करोड के विरुद्व पं.रा. सं. द्वारा केवल ₹ 13,695.45 करोड़ (46.71 प्रतिशत) का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था।

(कंडिका 1.7.3)

2. पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा

❖ *अपूर्ण कार्यो पर निष्फल व्यय*

42 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण चार से आठ वर्षों की अवधि के लिए अपूर्ण रहा जिसके फलस्वरुप ₹ 1.27 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 2.1)

3. बिहार में शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, उत्तरदायित्व तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामलों की एक सामान्य रूपरेखा

❖ *कार्यो, निधियों एवं कर्मियों का प्रतिनिधायन*

74 वें संविधान संशोधन अधिनियम की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित कुल 18 विषयों में से 17 विषयों (अग्निशमन सेवा को छोड़कर) से संबधित कार्यो को बि.न. अधिनियम, 2007 में किए गए प्रावधानों के माध्यम से श.स्था.नि. को हस्तांतरित किया गया था । इन 17 विषयों में से 12 विषयों से संबंधित कार्यों को सीधे शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था तथा शेष पाँच विषयों से संबंधित कार्यों को बिहार सरकार के कार्यात्मक विभागों/पैरास्टेटल निकायों द्वारा किया जाता था ।

केंद्र/राज्य सरकार ने विभिन्न शिर्षो जैसे केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य योजना मद आदि के तहत श.स्था.नि. के अनिवार्य कार्यो को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराया था। श.स्था.नि. अपने स्थापना व्यय को राजस्व के अपने स्रोत से पूरा करने मे सक्षम नहीं थे।

(***कंडिका 3.3.2***)

❖ *जिला योजना समिति (डी.पी.सी.) की कार्यप्रणाली*

डी.पी.सी. का विलंब से फरवरी 2018 में गठन किया गया था तथा 2016 एवं 2017 के बीच की अवधि के दौरान यह अस्तित्व में नहीं था। परिणामस्वरुप, नगरपालिकाओं द्वारा अनुमोदित विकास कार्यो के निष्पादनार्थ वार्षिक योजनाओं को जिला स्तर पर समेकित नहीं किया जा सका और विभागों को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(कंडिका 3.4.2)

❖ *महालेखाकार (ले.प.) के द्वारा जारी नि.प्र. पर असंतोषप्रद अनुक्रिया*

271 निरीक्षण प्रतिवेदनों मे निहित कुल 7,740 लेखापरीक्षा कंडिकाओं में से केवल 2,004 लेखापरीक्षा कंडिकाओं (26 प्रतिशत) का निपटान किया गया था तथा 5,709 लेखापरीक्षा कंडिकाओं जिसमें ₹ 2,122.12 करोड़ सम्मिलित थे, अक्टूबर 2019 तक निपटान के लिए शेष थे ।

(कंडिका 3.6.1)

❖ *उपयोगिता प्रमाण पत्र*

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार द्वारा संकलित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) के अनुसार यह देखा गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने 2015-16 से 2018-19 (नवंबर 2018 तक) की अवधि के दौरान ₹ 10,508.78 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया था परन्तु समायोजन के लिए ₹ 5443.55 करोड़ (52 प्रतिशत) के यू.सी. लंबित थे।

(कंडिका 3.7.6)

4. शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा

❖ प्रत्येक पाँच वर्षों में होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य में न्यूनतम 15 प्रतिशत वृद्धि के संबंध में कोडल प्रावधानों का पालन करने में नगर निगमों की विफलता के कारण संपत्ति कर के रूप में ₹ 52.03 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 4.1)

❖ आम जन और नगर परिषद्, सीवान कार्यालय के उपयोग के लिए विकसित वेबसाइट और सॉफ्टवेयर पाँच वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.66 लाख का अनुपयोगी व्यय हुआ।

(कंडिका 4.2)

❖ कोडल प्रावधानों, विभाग के निर्देशों और सोलर स्ट्रीट लाईट के क्रय के संबंध में आपूर्तिकर्त्ता के साथ किए गए अनुबंध में वर्णित शर्त का नगर परिषद् सासाराम द्वारा पालन नहीं किए जाने के परिणामस्वरुप ₹ 1.23 करोड़ के अनियमित भुगतान के अतिरिक्त ₹ 4.38 करोड़ का अनियमित क्रय हुआ।

(कंडिका 4.3)

❖ नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा कूड़ेदानों के क्रय में वित्तीय नियमों का पालन न करने के कारण ₹ 74.25 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 4.4)

❖ दो नगर निगमों (कटिहार एवं पटना) नियत तिथियों तक बिजली बिलों का भुगतान करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरुप ₹ 3.97 करोड़ के विलंबित भुगतान अधिभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.5)

❖ दो नगरपालिकाओं द्वारा एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरुप 98 अपात्र लाभार्थियों को ₹ 2.26 करोड़ की निर्माण लागत वाली आवासीय इकाईयों का आवंटन हुआ ।

(कंडिका 4.6)

❖ नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा संग्रहित राजस्व को नगरपालिका निधि में जमा न करने और आंतरिक नियंत्रण की विफलता के फलस्वरुप ₹ 30.72 लाख का दुर्विनियोजन हुआ।

(कंडिका 4.7)

❖ स्वीपिंग मशीनों के क्रय में नगर निगम, बेगूसराय द्वारा वित्तीय नियमों का पालन नहीं करने एवं असंगत आयोजना के परिणामस्वरूप ₹ 83 लाख की मशीनें पाँच वर्षों से अधिक समय से अनुपयोगित रही थीं।

(कंडिका 4.8)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना

प्रतिवेदन से संबंधित आगे की जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें:

अधिकारी जिनसे संपर्क किया जा सकता है।
श्री आदर्श अग्रवाल, प्रवक्ता **उप–महालेखाकार (प्रशासन)** कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना दूरभाष संख्याः **0612-2221941** (कार्यालय) फैक्स संख्याः **0612-2506223** **इस कार्यालय का बेवसाइटः cag.gov.in/ag/bihar/hi** **ई–मेलः agaubihar@cag.gov.in** **agarwala2@cag.gov.in** **श्री कुंदन कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (Media Officer)** **Mobile No.-** 9431624894